उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1227/ग्यारह-2-21-9(42)/17टी.सी.58-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(226)-2022

लखनऊः दिनांकः 07 जनवरी, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तिरपनवां संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तिरपनवां संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह नियमावली तारीख 24 सितम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
नियम10क का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में,- (1) उक्त नियमावली के नियम 10क में, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए,- (क) शब्द "बैंक खाते के ब्यौरे" के पश्चात् शब्द" जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के नाम से हो और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया हो" बढ़ा दिये जायेंगे; (ख) निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी की स्थायी खाता संख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुड़ी हुई हो।"; (2) उक्त नियमावली के नियम 10क के पश्चात, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:- "10ख. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए आधार अधिप्रमाणन.- धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे नियम 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, स्वत्वधारी फर्म की दशा में स्वत्वधारी या भागीदारी फर्म की दशा में कोई भागीदार या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में कर्ता या कंपनी की दशा में उसका प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक

		निदेशक या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय या किसी सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों में से **कोई भी सदस्य या न्यास की दशा में न्यासी बोर्ड का कोई न्यासी, और प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता, नीचे दी** गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए पात्र होने के क्रम में, आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएँगे:- सारणी **क्र.सं.** | **उद्देश्य** (1) | (2) 1. | नियम 23 के अधीन, रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए प्ररूपजीएसटीआरईजी-21 में आवेदन फाइल करने के लिए 2. | नियम 89 के अधीन प्ररूपआरएफडी-01 में प्रतिदाय आवेदन फाइल करने के लिए 3. | नियम 96 के अधीन भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए परन्तु यदि उस व्यक्ति को जिससे आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराना अपेक्षित है, आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तो ऐसा व्यक्ति पहचान के निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:- (क) अपनी आधार नामांकन आईडीपर्ची; और (ख) (i)फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक; या (ii)भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान कार्ड; या (iii)पासपोर्ट; या (iv)मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया चालन लाइसेंस; परन्तु यह और कि ऐसा व्यक्ति आधार संख्या के आवंटन के तीस दिन के भीतर आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएगा।";
नियम 23 का संशोधन	3	उक्त नियमावली के नियम 23 में, उपनियम (1) में, ऐसी तारीख से जो अधिसूचित की जाए शब्द "स्व प्रेरणा से" पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "नियम 10ख के उपबंधो के अध्यधीन" रख दिए जाएंगे;
नियम 26 का संशोधन	4	नियम 26 के उपनियम (1) में,-

		(क) तारीख 29 अगस्त, 2021 से प्रभावी, चौथे परन्तुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 अगस्त, 2021" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "31 अक्तूबर, 2021" रख दिए जाएंगे; (ख) तारीख 1 नवंबर, 2021 से सभी परन्तुकों को निकाल दिया जाएगा;
नियम 45 का संशोधन	5	उक्त नियमावली के नियम 45 के उपनियम (3) में, तारीख 1 अक्टूबर, 2021 से,- (एक) शब्द "तिमाही के दौरान", के स्थान पर, शब्द "विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान", रख दिये जाएंगे; (दो) शब्द "उक्त तिमाही", के स्थान पर, शब्द "उक्त अवधि", रख दिये जायेंगे; (3) परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् : "स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट अवधि" पद का तात्पर्य निम्नानुसार – (क)किसी मालिक के संबंध में, जिसका ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक है, 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर को प्रारम्भ होने वाले छह क्रमवर्ती मासों की अवधि होगा; और (ख)किसी अन्य मामले में एक वित्तीय वर्ष होगा।";
नियम 59 का संशोधन	6	उक्त नियमावली के नियम 59 के उपनियम (6) में, 1 जनवरी, 2022 से, - (एक) खंड (क) में, शब्द "पिछले दो महीने के लिए", के स्थान पर, शब्द "पूर्ववर्ती मास के लिए", रख दिये जाएंगे; (दो) खंड (ग) को निकाल दिया जायेगा;
नियम 80 का संशोधन	7	नियम 80 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम तारीख 1 अगस्त, 2021 से रख दिया जाएगा, अर्थात् :-, - "80. वार्षिक विवरणी – (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 44 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के सिवाय, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 और 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए धारा 44 के अधीन यथानिर्दिष्ट प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक विवरणी को इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात आगामी 31 दिसंबर को या उससे पहले, सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम, से प्रस्तुत करेगा:- परन्तु यहकि धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति प्ररूप जीएसटीआर-9क में वार्षिक

		विवरणी प्रस्तुत करेंगे । (2) धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक उक्त धारा की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर-9ख** में प्रस्तुत करेगा । (3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 44 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के सिवाय, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 और 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, जिनका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संकलित आवर्त पांच करोड़ रूपए से अधिक हैं, सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सेवा केन्द्रों के माध्यम से, ऐसे वित्तीय वर्ष कि समाप्ति के पश्चात आगामी 31 दिसंबर को या उससे पहले, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी के साथ धारा 44 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट स्वप्रमाणित समाधान विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर-9ग** को भी दाखिल करेगा ।
नियम 89 का संशोधन	8	उक्त नियमावली के नियम 89 में,- (एक) उपनियम (1) में, ऐसे दिनांक जैसा कि अधिसूचित किया जाय, से शब्द "फाइल कर सकता है" के पश्चात, ",नियम 10ख के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए," शब्द रख दिए जाएंगे; (दो) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "(1क) कोई व्यक्ति जो, उसके द्वारा संदत्त किसी कर के प्रतिदाय हेतु अधिनियम की धारा 77 के अधीन दावा करता है, उसके द्वारा अन्त: राज्य प्रदाय समझेगए संव्यवहार के संबंध में, जो पश्चात्त वर्ती अन्तर-राज्य प्रदाय माना गया, अन्तर-राज्य प्रदाय पर कर के संदाय के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व, या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, कॉमन पोर्टल के माध्यम से प्ररुप **जीएसटीआरएफडी-01** में इलैक्ट्रानिक ढंग से आवेदन कर सकेगा: परन्तु यह कि उक्त आवेदन इस उपनियम के लागू होने के पूर्व अन्तर-राज्य प्रदाय पर कर के किसी संदाय के संबंध में, उस दिनांक से जिससे यह उपनियम लागू होता है दो वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व फाइल किया जाएगा।";
नियम 96 का संशोधन	9	उक्त नियमावली के नियम 96 में, उपनियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, ऐसे दिनांक से जैसा कि अधिसूचित किया जाय से निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "(ग) आवेदक ने नियम 10ख में उपबंधित रीति से आधारअधिप्रमाणन करवाया है।";
नियम 96ख का संशोधन	10	उक्त नियमावली के नियम 96ख के पश्चात्, ऐसे दिनांक से जैसा कि अधिसूचित किया जाय, से

		निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- "(96ग) **प्रतिदाय जमा हेतु बैंक खाता** – नियम 91 के उपनियम (3), नियम 92 के उपनियम (4) और नियम 94 के प्रयोजनों के लिए, "बैंक खाता" का तात्पर्य आवेदक के ऐसे बैंक खाता से होगा जो आवेदक के नाम पर है तथा उसकी स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया है:- "परन्तु यह कि स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी की स्थायी खाता संख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुड़ी हुई हो।"
नियम 137 का संशोधन	11	नियम 137 में, 30 नवंबर, 2021 से, शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर, शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जाएंगे।
नियम 138ङ का संशोधन	12	1 मई, 2021 से, नियम 138ङ में, चौथे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु यह भी कि उक्त निर्बंधन 1 मई, 2021 से 18 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान उस दशा मे लागू नहीं होगा, जहां, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी या **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों का विवरण या **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8** में विवरण मार्च, 2021 से मई, 2021 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।";
प्ररुप जीएसटी डीआरसी-03	13	प्ररुप जीएसटी डीआरसी-03 में, - (क) शीर्ष में, शब्द "या विवरण" के पश्चात्, शब्द, अक्षर और अंक "या प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना" रख दिए जाएंगे; (ख) मद 3 के समक्ष, स्तंभ (3) में शब्द, और अक्षर "लेखापरीक्षा, अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", के स्थान पर, शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "लेखापरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, संवीक्षा, प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, मिलान न होना (प्ररुप जीएसटीआर-1 और प्ररुप जीएसटीआर-3ख), मिलान न होना (प्ररुप जीएसटीआर-2ख और प्ररुप जीएसटीआर-3ख), अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", रख दिये जाएंगे; (ग) मद 5 के समक्ष, स्तंभ (1) में, शब्द और अंक "यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर", के पश्चात्, शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "संवीक्षा, प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, संपरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", बढ़ा दिए जाएंगे;

(घ) क्रम संख्यांक 7 के अधीन सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रख दी जाएगी, अर्थात् :--

"क्रम संख्या	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (पी ओ एस)	कर/ उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि लागू हो	फीस	अन्य	कुल	उपयोग किए गए खाते (नकद/ प्रत्यय	विकलन प्रविष्टि सं.	विकलन प्रविष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												।"।

प्ररुप जीएसटीआर-9 में संशोधन	14	उक्त नियमावली में, तारीख 1 अगस्त, 2021 की तिथि से प्रभावी, **प्ररुप जीएसटीआर-9**, के अनुदेशों में – (क) पैरा 4 में, - (क) शब्द, अक्षर और अंक "या वित्तीय वर्ष 2019-20" के पश्चात् "या वित्तीय वर्ष 2020-21" शब्द, अक्षर और अंक बढ़ा दिये जायेंगे; (ख) सारणी में, दूसरे स्तम्भ में शब्द और अंक "और 2019-20" के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, शब्द और अंक ", 2019-20 और 2020-21" रख दिये जायेंगा; (ख) पैरा 5 में, सारणी में दूसरे स्तम्भ में, - (क) क्रम संख्या 6ख के समक्ष, अक्षर और अंक "वित्तीय वर्ष 2019-20" के पश्चार अक्षर, अंक और शब्द "और 2020-21" बढ़ा दिये जायेंगे; (ख) क्रम संख्या 6ग और 6घ के समक्ष, - (एक) शब्द अक्षर और अंक "वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए "के पश्चात शब्द और अंक "और 2020-21" बढ़ा दिये जायेंगे; (दो) शब्द और अंक "और 2019-20" के स्थान पर शब्द और अंक "2019-20 और 2020-21" रख दिये जायेंगे; (ग) क्रम संख्या 6ड. के समक्ष, अक्षर और अंक "वित्तीय वर्ष 2019-20" के स्थान पर, अक्षर, अंक और शब्द "वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21" रख दिये जायेंगे;

(घ) क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ., 7च, 7छ और 7ज के समक्ष प्रविष्टि में, अंक और शब्द "2018-2019 और 2019-20" के स्थान पर, अंक और शब्द "2018-19, 2019-20 और 2020-21" रख दिये जायेंगे;

(ग) पैरा 7 में, -

(क) शब्द और अंक "अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020" के पश्चात निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, भाग 5 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संव्यवहारों जिनको अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 के बीच प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में संदत्त किया गया है, की विशिष्टियों से मिलकर बना है।";

(ख) सारणी में, दूसरे स्तम्भ में, -

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के समक्ष, प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले ही घोषित प्रदायों में जोड या संशोधन के ब्यौरे किन्तु जो अप्रैल 2021 से सितंबर, 2021 के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, यहां घोषित किए जाएंगे।";

(II) क्रम संख्या 12 के समक्ष,-

(1) शब्द, अक्षर और अंक "वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा" के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाएगी,अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लिया गया था, किन्तु अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) इन ब्योरौं को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी।";

(2) अंक और शब्द "2018-19 और 2019-20" के स्थान पर अंक और शब्द "2018-19, 2019-20 और 2020-21" रख दिये जायेंगे;

		(III) क्रम संख्या 13 के समक्ष,- (1) शब्द, अक्षर और अंक "वित्तीय वर्ष 2020-21 में उसका पुन: दावा किया गया था, ऐसी पुन: दावा की गई आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।" के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे, किन्तु जिनके लिए आईटीसी अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में लिया गया था, यहाँ घोषित किए जाएंगे। प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(क) का इन ब्योरौं को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, कोई आईटीसी जिसका प्रत्यागम धारा 16 की उप-धारा (2) के दूसरे परन्तुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया था किन्तु जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।"; (2) अंक और शब्द "2018-19 और 2019-20" के स्थान पर अंक और शब्द "2018-19, 2019-20 और 2020-21" रख दिये जायेंगे; (घ) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द और अंक "2018-19 और 2019-20" के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं अक्षर, शब्द और अंक "2018-19, 2019-20 और 2020-21" रख दिये जायेंगे ।"
प्ररूप-जीएसटीआर-9ग में संशोधन	15	उक्त नियमावली में 1 अगस्त, 2021 की तारीख से प्रभावी **प्ररूप-जीएसटीआर-9ग** में,- (i) भाग क की सारणी में – (क) क्रम संख्या 9 में, क्रम संख्या ट से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्: - "ट-1 | अन्य | | | | | |"; (ख) क्रम संख्या 11 में, "0.10%" से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्: - "अन्य | | | | | |"; (ग) भाग 5 के समक्ष,-

(I) शीर्ष में, शब्द "गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर लेखापरीक्षक की सिफारिश" के स्थान पर शब्द "गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व" रख दिए जाएंगे;

(II) "0.10%" से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्: -

"अन्य					।";

(ii) सारणी के पश्चात,"सत्यापन:" से प्रारम्भ होने वाले और "और तुलन पत्र आदि" के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

"रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का सत्यापन:

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर इसमें दी गई जानकारी सत्य और सही है और वहाँ से कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं प्ररुप जीएसटीआर - 9ग में समाधान विवरण की स्वप्रमाणित प्रति को अपलोड कर रहा हूं । मैं वित्तीय विवरण, लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र आदि सहित अन्य विवरण, जैसा लागू हो, भी अपलोड कर रहा हूं।";

(iii) अनुदेशों में,-

(क) पैराग्राफ 4 में, सारणी के दूसरे स्तम्भ में, "2018-19 और 2019-20" जहां कहीं वे आते हैं, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2018-19, 2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द रख दिए जाएंगे;

(ख) पैराग्राफ 6 में, सारणी के दूसरे स्तम्भ में, "2018-19 और 2019-20" जहां कहीं वे आते हैं, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2018-19, 2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द रख दिए जाएंगे;

(ग) पैराग्राफ 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"7. भाग V में आवर्त के गैर-समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर-समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्वहन की जाने वाली अतिरिक्त देयता शामिल है। कोई भी प्रतिदाय जो गलती से लिया गया है और सरकार को वापस भुगतान किया जाएगा, उसे भी इस तालिका में घोषित किया जाएगा। अंत में, कोई अन्य बकाया मांग, जिसे करदाता द्वारा निपटाया जाना है, इस सारणी में घोषित की जाएगी।

		(iv) भाग ख प्रमाणीकरण को निकाल दिया जाएगा।
प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-14 में संशोधन	16	29 अगस्त, 2021 की तिथि से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-14 में,- (क) शब्द "आपका रजिस्ट्रीकरण" के पश्चात्, शब्द "आदेश प्रतिनिर्देश सं. ....., तारीख ..... द्वारा," बढ़ा दिए जाएंगे ; (ख) शब्द "क्यों रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार संचालन के लिए" निकाल दिये जायेंगे; (ग) अंत में, शब्द "पदनाम" के पश्चात्, शब्द "पता" बढ़ा दिया जाएगा।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव